

**राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, पंचकूला**  
National Institute of Fashion Technology, Panchkula  
(स्थापना विभाग / Establishment Dept.)

सन्दर्भ: 09/NIFT/PKL/Estt./RTI Disclosure/2021

दिनांक: 26.07.2021

**कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER**

**विषय:** आर.टी.आई. अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी तथा सी पी.आई.ओ. नामित करने के सम्बन्ध में  
Nomination of First Appellate Authority and CPIO under the provision of RTI Act – reg.

निफ्ट-पंचकूला परिसर में निम्नलिखित अधिकारियों को आर.टी.आई. आवेदनों के त्वरित निपटान के लिए आर.टी.आई. अधिनियम के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी तथा केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है:

The following officers are nominated as First Appellate Authority and Central Public Information Officer under the RTI Act for quick disposal of RTI applications at NIFT-Panchkula campus:

क्रम. सं. S. No.	नाम तथा पदनाम Designation	आर.टी.आई. अधिनियम के अंतर्गत पदभार Designation under the RTI Act	ई-मेल आई.डी. / दूरभाष E-mail Id and Mob No.
1.	प्रोफेसर डॉ. अमनदीप सिंह ग्रोवर Prof. Dr. Amandeep Singh Grover परिसर निदेशक/ Campus Director	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी First Appellate Authority	<a href="mailto:director.panchkula@nift.ac.in">director.panchkula@nift.ac.in</a> / 09990427575
2.	डॉ. विशु अरोड़ा / Dr. Vishu Arora परिसर शैक्षणिक समन्वयक Campus Academic Coordinator	केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (शैक्षणिक मामले) Central Public Information Officer (Academic Matters)	<a href="mailto:cac.panchkula@nift.ac.in">cac.panchkula@nift.ac.in</a> / 09909941584
3.	श्री संतोष कुमार सिंह/ Mr. Santosh Kumar Singh लेखा अधिकारी / Accounts Officer	केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (गैर शैक्षणिक मामले) Central Public Information Officer (Non-Academic Matters)	<a href="mailto:accountofficer.panchkula@nift.ac.in">accountofficer.panchkula@nift.ac.in</a> / 07018301085



(प्रोफेसर डॉ. अमनदीप सिंह ग्रोवर)  
निदेशक

सेवा में / To,

सभी सम्बंधित अधिकारी / All Concerned Officers

प्रतिलिपि / Copy to:

1. मुख्य सतर्कता अधिकारी
2. पंजीयक, निफ्ट मुख्यालय
3. निदेशक, निफ्ट मुख्यालय
4. निदेशक, निफ्ट पंचकूला परिसर
5. कानूनी/विधि अधिकारी, निफ्ट-मुख्यालय
6. महानिदेशक के निजी सचिव